कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17

"विज्ञप्ति"

क्रमांक/आब./ठेका/2017/341 रायपुर, दिनांक 23-1-17

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, रायपुर जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह क्रमांक 25, गुल्लू समूह, रायगढ़ जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह क्रमांक 26, घरघोड़ा समूह एवं देशी मदिरा दुकान समूह क्रमांक 3, कुंआभट्ठा, जिला कोरबा के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 24.01.2017 से दिनांक 28.01.2017 तक इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 30.01.2017 समय अपरान्ह 12:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट, रायपुर, जिला कलेक्टोरेट, रायगढ़ एवं जिला कलेक्टोरेट, कोरबा होगा।

2/ आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/491–492, रायपुर, दिनांक 10.02.2016 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवस के छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेब साईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts में तथा राज्य शासन के वेबसाईट http://cgstate.gov.in के सूचना निर्देशिका एवं लिंक http://cgstate.gov.in/tenders में भी किया जा सकता है।

5/ इसके बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

(ए.के. अग्रवाल) 23/1/17
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृष्ठा.क्रमांक / आब / ठेका / 2017 / 342 रायपुर, दिनांक 23-1-17

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को उक्त विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर अनुरोध है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर,
5. कलेक्टर, जिला—रायपुर / रायगढ़ / कोरबा (छ.ग.)
6. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर
9. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग—रायपुर / बिलासपुर / बस्तर (छ.ग.)
11. उपायुक्त आबकारी, जिला—रायपुर (छ.ग.)
12. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी (छ.ग.)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23.1.2017

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–एक

देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17 हेतु (दिनांक 01.02.2017 से 31.03.2017 तक) दुकानवार निर्धारित राजस्व

क्र.	नाम जिला	समूह क्र.	नाम दुकान/समूह	तहसील का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2016–17			ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 (रूपयों में) अर्थात 01.02.2017 से 31.03.2017 तक			योग ड्यूटी राशि (रूपयों में) (कॉलम नं. 9+10+11)	01.02.2017 से 31.03.2017 तक के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रूपयों में)	वर्ष 2016–17 हेतु शेष माहों के लिए निर्धारित राजस्व (रूपयों में) (कॉलम नं. 12+13)	शेष माहों के लिए ड्यूटी राशि की प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	शेष माहों के लिए लायसेंस फीस की प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	माह फरवरी, 2017 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (रूपयों में)
					देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा माल्ट (ब.ली.)	देशी मदिरा (रूपयों में)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (रूपयों में)	विदेशी मदिरा माल्ट (रूपयों में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायपुर	25	गुल्लू समूह													
		1	दे.म.दु. लखौली	आरंग	51170	0	0	5117000	0	0	5117000	9316666	14433666	2709000	4658333	4658333
		2	वि.म.दु. गुल्लू		0	44030	11900	0	5503750	297500	5801250	10562500	16363750	3071250	5281250	5281250
योग					**51170**	**44030**	**11900**	**5117000**	**5503750**	**297500**	**10918250**	**19879166**	**30797416**	**5780250**	**9939583**	**9939583**
2	रायगढ़	26	घरघोड़ा समूह रायगढ़													
		1	दे.म.दु. घरघोड़ा	घरघोड़ा	5100	0	0	510000	0	0	510000	928572	1438572	250000	464286	464286
		2	वि.म.दु. घरघोड़ा		0	24820	12240	0	3102500	306000	3408500	6205952	9614452	1670833	3102976	3102976
योग					**5100**	**24820**	**12240**	**510000**	**3102500**	**306000**	**3918500**	**7134524**	**11053024**	**1920833**	**3567262**	**3567262**
3	कोरबा	3	कुंआभट्ठा समूह													
		1	दे.म.दु. कुंआभट्ठा	कोरबा	23113	0	0	2311300	0	0	2311300	4208284	6519584	1155650	2104142	2104142
योग					**23113**	**0**	**0**	**2311300**	**0**	**0**	**2311300**	**4208284**	**6519584**	**1155650**	**2104142**	**2104142**

टीप :– चयनित लायसेंसी द्वारा प्रतिभूति एवं लायसेंस फीस की राशि जिस तिथि को जमा की जावेगी, उसके पूर्व की तिथियों का समानुपातिक रूप से गणना कर एम.जी. एवं राजस्व में कमी की जावेगी।

23.1.17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र 2

देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17 हेतु (दिनांक 01.02.2017 से 31.03.2017 तक) समूहवार निर्धारित राजस्व

District Code	District Name	Group Name	Group Code	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा देशी मदिरा (प्रू.ली.)	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी मदिरा स्प्रिट (प्रू.ली.)	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा विदेशी मदिरा माल्ट (ब.ली.)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 देशी मदिरा (रू.में)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 विदेशी मदिरा स्प्रिट (रू.में)	ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 विदेशी मदिरा माल्ट (रू.में)	योग ड्यूटी राशि वर्ष 2016–17 (रू.में)	लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रू.में)	दुकान/समूह का शेष माहों का राजस्व लक्ष्य वर्ष 2016–17 (रू.में)	शेष माहों की ड्यूटी राशि की प्रतिभूति राशि (रू.में)	शेष माहों की लायसेंस फीस की प्रतिभूति राशि (रू.में)	माह फरवरी, 2017 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (रू.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Raipur	Gullu	25	51170	44030	11900	5117000	5503750	297500	10918250	19879166	30797416	5780250	9939583	9939583
15	Raigarh	Group Gharghoda	26	5100	24820	12240	510000	3102500	306000	3918500	7134524	11053024	1920833	3567262	3567262
13	korba	kuabhatta	3	23113	0	0	2311300	0	0	2311300	4208284	6519584	1155650	2104142	2104142

03-1-17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर